

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत

जिला कलक्टर

मुकाम

धौलपुर

अशोक सिंघल

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा:- प्रथम अपील सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005

मुकदमा नम्बर:- 5 सन् 2020
RCMS No. 2020/000

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो प्रस हुकम को तामील में जारी हुवे
13.3.2020	<p>यह प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपीलान्ट श्री अशोक सिंघल आर.टी.आई.कार्यकर्ता लाल बाजार धौलपुर ने लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर) द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। अपील का अवलोकन कर मनन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। रेसपोडेन्ट को अपील की प्रति भिजवाई जाकर टिप्पणी प्राप्त की जावे। अपीलान्ट को भी आगामी तारीख पेशी की सूचना भिजवाई जावे। पत्रावली जास्ते इंतजार टिप्पणी हेतु आगामी तारीख पेशी 23.03.2020 को पेश हो।</p>	<p>127-2 -128 13.3.2020</p>
8.7.2020	<p>(आरो के0 जायसवाल) जिला कलक्टर, धौलपुर</p> <p>कोरोना महामारी के फैलाव के कारण प्रभावित आदि दिनांक की पेशा हुई। लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर) से टिप्पणी प्राप्त हुई। लोक सूचना अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 28.1.2020 को आवेदन किया। जिसके संबंध में पत्रांक 651 दिनांक 26.2.2020 के द्वारा अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है कि -जहाँ गई सूचना के बिंदु संख्या 1, 2 के संबंध सूचना स्पष्ट नहीं होने के कारण उक्त सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अपीलान्ट को सूचना देने में कोई देरी नहीं की गई है। अतः लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट की प्रतिलिपी अपीलान्ट को उपलब्ध कराते हुए प्रकरण इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। प्रकरण फंसलशुगर हो। बाद तकनीक दाखिल दफ्तर हो। नम्बर ले बंदम किया जावे।</p>	<p>(आरो के0 जायसवाल) जिला कलक्टर, धौलपुर</p>